The Rajendra Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2006

Act 20 of 2006

Keyword(s):
Composition of Governing Council, Medical Expert

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

झारखण्ड सरकार

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 651

25 अग्रहायण, 1928 शकाब्द

राँची, शनिवार 16 दिसम्बर, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2006

संख्या-एल०जी०-05/2006-127/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006

[झारखण्ड अधिनियम 20, 2006]

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सन्तावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :-**

(i) यह अधिनियम राजेन्द्र आयुर्विज्ञान (संशोधन) अधिनियम- 2006 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

Published on National Portal of India

(ii) यह संशोधन अधिनियम राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से प्रवृत्त समझा जायेगा ।

2. धारा-7 का संशोधन :-

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान की शासी परिषद् का गठन । राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान एक स्वायत्त संस्था होगा एवं इसका प्रबंधन शासी परिषद् में निहित होगा जिसमें निम्नलिखित ''पन्द्रह सदस्य होंगे'', ''तेरह सदस्य होंगे'' द्वारा प्रतिस्थापित होगा तथा

(i) ''मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार'' को विलोपित कर ''मुंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रतिस्थापित होगा ।

(ii) विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार विलोपित होगा ।

(iii) ''राज्य सरकार द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त दो चिकित्सा विशेषज्ञों'' को विलोपित कर ''राज्य सरकार द्वारा मनोनीत चिकित्सा शिक्षा कार्य से संबंधित एक चिकित्सा विशेषज्ञ'' द्वारा प्रतिस्थापित होगा ।

3. धारा-10 का संशोधन :-

धारा-10 की उप धारा (i) में ''मुख्य सचिव'' एवं ''विकास आयुक्त'' शब्द को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर क्रमशः ''मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग'' तथा ''प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग'' द्वारा प्रतिस्थापित होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2006

संख्या एल०जी०05/2006-128/लेज०--झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2006 को अनुमत राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006 (झारखण्ड अधिनियम, 20, 2006) का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :-

RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2006
AN
ACT
[JHARKHAND ACT 20, 2006]

TO AMEND THE RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ACT, 2002

Enacted in the 57th year of the Republic of India by the Jharkhand Legislative Assembly as follows:-

1. Short title, extent and commencement :-

(i) This Act may be called the Rajendra Institue of Medical Sciences, (Amendment) Act 2006.

(ii) This extends to the whole of Jharkhand.

(iii) This Act shall come into force on a day to be fixed by notification in the official Gazette by the State Government.

2. Amendment in Section-7 :-

Composition of Governing Council of RIMS. "Fifteen members" shall be substituted by "Thirteen members" in the sentence the "Rajendra Institute of Medical Sciences shall be an autonomous institute and its management shall be vested in the Governing Council, which shall comprise "Fifteen members" and

(i) "The Chief Secretary, Government of Jharkhand" shall be deleted and substituted by "The Minister, Health, Medical Education and Family Welfare Department, Jharkhand".

(ii) "The Development Commissioner, Government of Jharkhand ex-officio" shall be deleted.

(iii) "Two eminent medical experts of national rupute to be nominated by the State Government" Shall be deleted and subsituted by "One medical expert having expertise of Medical Education matters to be nominated by the State Government.

3. Amendment in Section-10 :-

The word "The Chief Secretary" and "The Development Commissioner" shall be deleted and substituted by "The Minister, Health, Medical Education and Family Welfare Department" and "Principal Secretary/Secretary, Health, Medical Education and Family Welfare Department" in the Sub-section (1) of Section 10.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 651--300+400--शनि मुण्डा ।